

		डा.							
16.	21/10/14	विराना	डा. एन.के.वर्मा	डा. एन.के.वर्मा	डा. राजेन्द्र झाझडिया	श्री मदनलाल	टीम बी	0607	डा. अर्जुन सिंह
17.	23/10/14	पिलानी	डा. सहाराम	डा. सिन्धु भेटवा	डा. महेन्द्र सिंह	एल टी पिलानी	टीम बी	0607	डा. एम. ओ पिलानी
18.	24/10/14	मण्डवा	डा. एन.के. वर्मा	डा. एन.के. वर्मा	डा. राजेन्द्र झाझडिया	श्री ताराचन्द्र	टीम बी	0607	डा. एम.ओ मण्डवा
19.	25/10/14	पौख	डा. राजेन्द्र गजराज	डा. महिला वि. पौख	डा. पवन भार्गव	श्री विनोद	टीम बी	0607	डा. एम.ओ. पौख
20.	26/10/14	बुहाना	डा. भावित सिंह	डा. अल्का विजय	डा. पवन भार्गव	श्री विक्रम	टीम बी	0607	डा. राधे रथाम
21.	27/10/14	नवलगाढ	डा. राजेन्द्र गजराज	डा. दिनेश अग्रवाल	डा. मनोज भार्मा	श्री सुरेन्द्र कुमार	नवलगाढ	0607	डा. गणेश गुप्ता
22.	27/10/14	सुलताना	डा. हरलाल सिंह	डा. सिद्धेश्वर	डा. महेन्द्र सिंह	एलटी सुलताना	चिडवा	चिडवा	डा. ओमप्रकाश
23.	28/10/14	बडगांव	डा. अनिल साहरण	डा. अनिल साहरण	डा. राजेन्द्र झाझडिया	श्री एल.टी बडगांव	टीम बी	0607	डा. एम.ओ बडगांव
24.	29/10/14	खेतडी	डा. एन.के. वर्मा	डा. अनुशा निरण	डा. पवन भार्गव	श्री रुभाष	खेतडी	0607	डा. एम.ओ खेतडी
25.	30/10/14	टमकोर	डा. वैदप्रकाश	डा. वैदप्रकाश	डा. एम.ओ टमकोर	एलटी टमकोर	विसाउ	विसाउ	डा. एम.ओ टमकोर

आवश्यक निर्देश :-

- 1) सर्जिकल टीम को आदेश दिये जाते हैं कि नसबन्दी शिविर में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी/ कर्मचारी को वाहन चालक घर से नहीं लेकर आयोग ना ही कैम्प से लौटने के बाद टीम के किसी भी सदस्य को घर छोड़कर आयोग। सभी सदस्य समय पर व्यूरो से रवाना होंगे। टीम प्रातः 9:00 बजे आवश्यक रूप से कैम्प स्थल के लिए रवाना होगी। शाम 5 बजे निश्चित करें कि आभरण 10:00 बजे शुरू हो जावे। विशेष परिशिष्ट दिवस यदि टीम रवाना होने में विलंब होने की स्थिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दूरभाष नं. 232415 पर सूचित करें व निर्देश प्राप्त करें।
- 2) सर्जिकल टीम प्रभारी सर्वोच्च नसबन्दी कैम्प में अनुपस्थित चिकित्सा अधिकारी/ एनेस्थेसिस्ट/ पैरामेडिकल की सूचना शिविर स्थल के दूरभाष नं. 232415 व 232884 पर तुरन्त दें। बिना पूर्व स्वीकृति अवकाश के कोई भी अधिकारी/ कर्मचारी अनुपस्थित रहता हो या कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने पर तुरन्त उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। अवकाश पर जाने वाले अधिकारी/ कर्मचारी अपनी ड्यूटी की व्यवस्था स्वयं अपने स्तर से करें जावेगी।
- 3) जिस चिकित्सा संस्थान में नसबन्दी शिविर लगाये जाते हैं उस संस्था के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सर्जिकल टीम को पूर्ण सहयोग करेंगे। कैम्प दिवस को किसी भी कर्मचारी का अवकाश स्वीकृत नहीं करें। स्थानीय स्तर कोपर आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे।
- 4) वाहन चालक अपने वाहन को शिविर से प्रस्थान पूर्व पीओएल/ ड्रा/ गाडी की सफाई इत्यादि की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे तथा गाडी की लीग ग्लूक में प्रस्थान व वापसी का समय अंकित करेंगे। कैम्प दिवस संस्था में कैम्प आयाज्य है वहां के चिकित्सा अधिकारी कैम्प प्रभारी होंगे तथा दारी आदि की आवश्यकतानुसार व्यवस्था रखेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाते। विजिली की उपलब्धता के अनुरूप व्यवस्था करेंगे। कैम्प की पूर्ण सूचना कैम्प समिति के बाद दिये गये प्रारूप में सर्जिकल टीम के डिपेंडर सहायक के साथ आवश्यक रूप से निजवाचन।
- 6) कैम्पों का निरीक्षण सम्बन्धित ब्याक मुख्य चिकित्सा अधिकारी करेंगे व कैम्प फेज होने की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित ब्याक मुख्य चिकित्सा अधिकारी की होगी। सर्जिकल टीम प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि टीम के साथ आवश्यक जीवमत्सक दवाइयों व उपकरण आवश्यकतानुसार उपलब्ध हैं। इसकी जिम्मेदारी निरन्तरन चिकित्सक एवं सर्जिकल टीम के प्रभारी की होगी तथा दवा किट संभारण व्यवस्था करने का दायित्व डिपेंडर सहायक का होगा।
- 8) कैम्प प्रभारी प्रातः 9 बजे से रजिस्ट्रेशन हेतु किसी कॉमिक की ड्यूटी लगाकर परीक्षण का कार्य शुरू करा दिया जावे। इस हेतु सभी चिकित्सा संस्थानों पर सहमति पत्र व नसबन्दी केसकार्ड उपलब्ध कराया दिया गया है। कैम्प व्यवस्था में क्षेत्र से आई महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को ड्यूटी आवंटित कर डिपेंडर व इन्फोर्मेशन आदि कार्य के लिए पाबन्द करेंगे।
- 9) कैम्प प्रभारी परियेक कैंसेज का जनरल फिजिकल बैक-अप का ऑपरेशन हेतु उचित कैंसेज को तैयार रखें ताकि रेजलेशन रेट ज्यादा न रहे।
- 10) नसबन्दी कैंसेज के साथ आने वाले उनके बच्चों के स्वा० परीक्षण एवं टीकाकरण भी सुनिश्चित करें उचित अलतला के कैंसेज को आईएफओपीओ की गोलियां आवश्यक रूप से उपलब्ध कर या जाना सुनिश्चित करें। जॉब में आभरण हेतु अयोग्य पाये जाने पर उन महिलाओं की जॉब कर आईएफओपीओ निवेशन सेवा उपलब्ध करावे।
- 11) आभरण बाद जब तक कैंसेज पूर्ण रूप से सामान्य अवस्था में न आ जाते उन्हें डिस्चार्ज नहीं करें। कम से कम 10 दिन घंटे भरती रखें जब तक टीम सर्जन यह प्रमाणित न करे कि डिस्चार्ज के लायक है जब ही डिस्चार्ज करें तथा सभी कैंसेज को डिस्चार्ज करने के बाद ही सर्जिकल टीम रवाना करें।